

I/71096/2021

उत्तर प्रदेश शासन

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

संख्या- 71096 /16-1099/1124/2019

लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2021

कार्यालय-जाप

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली-2008 की धारा-3 (1) अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5-(डब्लू- 48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या- 4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा 30 प्र० निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन विनियमावली-2015 निर्गत की गयी। उक्त विनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं में समिति द्वारा वर्ष 2017-18 (एक वर्ष) हेतु मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (कुल तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया तथा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया।

3. राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020, दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 सपठित 30 प्र० आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-2(जी) के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। कोरोना वायरस (कोविड-19) की दूसरी लहर से बढ़ते संक्रमण के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु वर्ष 2017-18 में सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (तीन वर्ष) हेतु निर्धारित 'मानक शुल्क से इतर शुल्क' तथा वर्ष 2018-19 में सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्ष) के लिए निर्धारित 'मानक शुल्क' एवं 'मानक शुल्क से इतर शुल्क' को शैक्षिक सत्र 2021-22 (एक वर्ष) हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया है।

Digitally signed by आलोक
कुमार III
Date: Tue Jun 15 14:50:47 IST
2021
Reason: Approved

(आलोक कुमार)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- कुल सचिव, डा० ए ० पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

I/71096/2021

2. निदेशक प्राविधिक शिक्षा, ३० प्र०, कानपुर।
3. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
6. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
7. सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति, बासमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित संस्थानों को अवगत करायें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा सं
15.6.21
(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव